Report of the Comptroller and Auditor General of India on Working of Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA), Government of Pradesh, Report No. 7 of 2024, (Performance Audit – Civil)

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	२० दिसंबर २०२५
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	01

यीडा के अफसरों ने खुले हाथों से लुटाए 8125 करोड़

विधानमंडल में कैग रिपोर्ट पेश : सरकार की मंजूरी के बिना भूमि उपयोग में बदलाव कर भूखंड किए आवंटित

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अफसरों ने विकास के नाम पर 8125 करोड़ रुपये लुटा दिए। महज एक साल में अरबों रुपये की बर्बादी की वजह कम वसूली, आवंटियों को अनुचित लाभ और अतिरिक्त खर्च है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सभी अनियमित मामलों की जांच की जाए।

बृहस्पतिवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में सीएजी द्वारा वित्त वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक की रिपोर्ट रखी गई। इसमें कहा गया है कि यीडा ने तमाम अभिलेख व सूचनाएं नहीं दीं। इससे लेखापरीक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ा। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बिना भू-उपयोग में बदलाव कर भूखंड आवंटित किए। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, यीडा ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (एलएए, 1894) के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया। भूस्वामियों को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया। कार्यवाही के विभिन्न चरणों में देरी से 36 प्रस्ताव फंस गए। इससे 188 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यीडा ने पहले से अधिग्रहीत सरकारी जमीन का ऊंची दरों पर दोबारा अधिग्रहण कर 128.02 करोड़ का ज्यादा भुगतान हुआ।

गिरवी रखी जमीन भी खरीद डाली

कई मामले ऐसे मिले, जिनमें यीडा ने बैंक के पास बंधक जमीन भी खरीद ली। चार मामलों में पहले से अर्जित भूमि दोबारा खरीदकर 64.35 लाख रुपये का अधिक भुगतान कर दिया। सीधे खरीदी गई जमीन का तत्काल दाखिल-खारिज नहीं कराया।

कीमत बदलकर 175 करोड़ बहाए : यीडा ने 25-250 एकड़ भूखंड योजना के तहत सात भूखंड और अपैरल पार्क में 54 भूखंड पूर्व-संशोधित दरों पर आवंटित कर दिए। इससे 175.55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पांच भूखंडों में बैंक गारंटी नवीकरण नहीं कराने से 95.59 करोड़ का नुकसान हुआ।

ठेकेदारों को दिया करोड़ों का लाभ : यीडा ने तीन ठेकेदारों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत लागत से 1.87 करोड़ कम वसूले। ठेकेदारों के बिलों से कर्मकार कल्याण उपकर की 1.91 करोड़ रुपये कम कटौती की।

Report of the Comptroller and Auditor General of India on Working of Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA), Government of Pradesh, Report No. 7 of 2024, (Performance Audit – Civil)

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	२० दिसंबर २०२४
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	01

बसपा शासन में यीडा में खूब चली मनमर्जी

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने प्रदेश सरकार की अनुमति के बगैर ही भू-उपयोग बदल कर भूखंड आवंटित कर दिए। भू-उपयोग परिवर्तन वर्ष 2009 व 2010 में बसपा सरकार के समय किए गए थे। यीडा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के अनुमोदन लिए बिना ही महायोजना 2031 के पहले चरण पर काम शुरू कर दिया। यीडा ने सरकारी व निजी भूमि उच्च मूल्य पर अधिग्रहीत की। इससे उसे 128 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना पड़ा। जमीन की खरीद में अत्यधिक विलंब के कारण यीडा को 188.64 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

यह राजफाश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यीडा के कार्यकलापों पर आई रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी ने यीडा के 2005-06 से लेकर 2020-21 तक की अवधि के कार्यों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट गुरुवार को सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी। सीएजी ने भू-उपयोग परिवर्तन कर भूखंडों के आवंटन करने वाले कर्मियों का उत्तरदायित्व तय कर कार्रवाई करने की संस्तुति की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महायोजना 2031 के अनुमोदन के नौ वर्ष बीत जाने के बावजूद 52 में से 29 सेक्टरों के ले-आउट तैयार नहीं किए गए हैं।

यीडा ने महायोजना के दूसरे चरण में विकास के लिए चार शहरी केंद्र चिह्नित किए हैं। उसने अभी तक अलीगढ़ और मथुरा में दो शहरी केंद्रों की महायोजनाएं ही तैयार की थी। आगरा और हाथरस में शेष दो शहरी केंद्रों की महायोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया। सीएजी ने लिखा कि महायोजना के अभाव में अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास तथा निर्माण से इन्कार नहीं किया जा सकता है। भूमि अर्जन अधिनियम के तहत यीडा द्वारा अर्जेंसी क्लाज लागू करने के बाद भी भूमि अर्जन की प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हुआ। इससे अधिक व्यय हुआ। यीडा ने विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए वार्षिक योजना भी नहीं बनाई। इस कारण आवंटित धनराशि का कम उपयोग हुआ।

यीडा ने ठेकेदारों से उपखनिजों परिवहन परमिट प्राप्त नहीं किए और न ही निर्धारित रायल्टी 35.71 करोड़ की कटौती उनके बिलों से की। यीडा ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेस्मेंट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति भी नहीं ली। सीएजी ने अयोग्य आवेदकों को टेंडर प्रदान करने व कर्मकार कल्याण उपकरण की कम कटौती और कम जमा करने पर भी आपत्ति जताई है।

संबंधित सामग्री >> 2

सीएजी रिपोर्ट

- वर्ष 2009 व 2010 के दौरान बिना अनुमति किए गए भू-उपयोग परिवर्तन, दिए गए भूखंड
- एनसीआरपीबी की स्वीकृति के बिना ही महायोजना 2031 पर शुरू किया गया अमल

कम दरों से यीडा को हुआ 469 करोड़ का नुकसान

सीएजी ने यीडा द्वारा मानक मूल्य निर्धारण के लिए कोई नीति न तैयार होने पर भी आपत्ति जताई है। परिसंपत्तियों के विक्रय मूल्य सभी लागतों पर पर्याप्त रूप से विचार किए बिना निर्धारित किए गए थे। यीडा ने 25-250 एकड़ भूखंड योजना में विक्रय मूल्य कम निर्धारित किया इस कारण उसे करीब 469 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ग्रुप हाउसिंग, कारपोरेट आफिस भूखंड में भी दरों के कम निर्धारण से उसे काफी नुकसान हुआ है।

Report of the Comptroller and Auditor General of India on Working of Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA), Government of Pradesh, Report No. 7 of 2024, (Performance Audit – Civil)

Name of the Newspaper	Hindustan Times
Date	20 December 2024
Edition (H/E)	English
Page No.	04

CAG audit report points out anomalies in Yeida's working

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: Major anomalies have been pointed out by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India in the working of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (Yeida).

The performance audit report, which covers the period 2005-06 and 2020-21, focuses on policies and procedures adopted by the Yeida for land acquisition, development and construction and allotment of properties. It also pointed out shortcomings in preparation of master plans, pricing of properties and internal control mechanisms.

The report is tabled in the Vidhan Sabha in the backdrop of two controversial orders issued by the former chairman of Yeida, related to the cancellation of lease deeds of two industrial plots, set aside by the Lucknow bench of the Allahabad high court.

The audit report found lapses in the policies and procedures adopted by the Yeida for planning, acquisition of land, development of land and construction of properties.

Among the most glaring lapses, the CAG's audit report pointed out that the development activities of the Yeida were not in conformity with the Regional Plan 2021 and violate the National Capital Regional Planning Board Act, 1985.

ANOMALIES POINTED OUT IN REPORT

- Development activities not in conformity with Regional Plan 2021
- Master Development plan not approved by NCRPB
- Delays in land acquisition despite invoking urgency clause
- Blockade of funds due to unwarranted purchase of land
- Standard pricing policy not followed
- Pricing of properties
- Allotment of properties
- Discretionary allotment of plots on the basis of interviews
- Absence of standard working manuals/ guidelines

REPORT TABLED IN THE VIDHAN SABHA IN THE BACKDROP OF TWO CONTROVERSIAL ORDERS

Report of the Comptroller and Auditor General of India on Working of Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA), Government of Pradesh, Report No. 7 of 2024, (Performance Audit – Civil)

Name of the Newspaper	The Times of India
Date	December 20, 2024
Edition (H/E)	English
Page No.	06

UP's 11 power sector PSUs incurred ₹1.6Lcr losses till 2022: CAG report

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: The UP government's 11 public sector undertakings in the power sector have incurred a mammoth loss of over Rs 1.6 lakh crore, the Comptroller and Auditor General report has pointed out. In another CAG report, it was revealed that Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) has pending overdues against allottees/sub-lessees worth Rs 4226.01 crore.

The CAG reports that were tabled on Thursday amidst din in the House stated that the losses and overdues were as on September 30, 2022.

The CAG report on YEIDA also pointed out that all the residential township and group housing projects were delayed by more than three to five years.

Coming back to audit of various PSUs, the CAG report said that net worth of the PSUs, including Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd, Kanpur Electric Supply Company Ltd, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd and UCM Coal Company Ltd, was (-) Rs 62,500.04 crore against equity investment of approximately Rs 1.36 lakh crore.

The CAG audit report has covered 16 UP government departments, 53 PSUs and 19 other entities

The CAG audit report has covered 16 UP government departments, 53 PSUs and 19 other entities. The report recommended that the state government may review the performance of loss-making PSUs and invest in them cautiously and take measures to improve their performance.

The CAG report also stated that out of the 37 PSUs whose financial performance is covered, 16 PSUs earned profit of Rs 378.18 crore and 21 PSUs incurred loss of Rs 15,856.93 crore. The major profit-making PSUs include UP State Road Transport Corporation (Rs 142.70 crore) and UP Awas Evam Vikas Parishad (Rs 105.16 crore).

The major loss-making PSUs include UPPCL (Rs 8305.27 crore), Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd (Rs 2,957.52 crore) and Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd (Rs 2.042.20 crore).

The report on YEIDA points out that the authority has changed the land use and allotted plots for specified land uses without obtaining approval of the UP government.

The report further pointed out that YEIDA has identified four urban centres for development in Phase-II. However, it has prepared master plans of only two urban centres at Aligarh and Mathura till date. Master plans of Agra and Hathras were not yet finalised which could lead to execution of unplanned and uncontrolled development and construction activities could not be ruled out which may hinder planned development activities at later stages.

Unwarranted invocation of urgency clause had resulted in lapse of 36 proposals resulting in loss of Rs 188.64 crore to YEIDA.

Similarly, government land was resumed in favour of YEIDA at higher rates resulting in excess payment of Rs 128.02 crore. Interestingly, the CAG also pointed out that YEIDA has purchased land beyond requirement/without any roadmap for its utilisation at rates higher than market rates resulting in blockade of funds amounting to Rs 160.23 crore and undue benefits to landowners.

YEIDA could develop only five to 36% of the area planned to be developed for institutional, industrial and mixed land use zones till 2021.

Similarly, YEIDA fixed the sale price for allotment of plots under the 25-250-acre plot scheme on lower side due to not considering different land uses permissible on the allotted plot and consequently suffered estimated loss of Rs 469.02 crore.

According to another CAG report on public health infrastructure and management of health services, the state government has incurred expenditure of around Rs 1.11 lakh crore on healthcare during the period 2016-17 to 2021-22 which was 4.2% to 5.41% of the total budgetary expenditure of the state government. The CAG pointed out this was much below the target envisaged to increase health spending to more than 8% of state budget by 2022 as per 15th Finance Commission.

Report of the Comptroller and Auditor General of India on Working of Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA), Government of Pradesh, Report No. 7 of 2024, (Performance Audit – Civil)

Name of the Newspaper	हिंदुस्तान
Date	21 दिसंबर 2024
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

कैग रिपोर्ट | जमीन विवादित और अतिक्रमित होने के कारण आवंटियों को कई वर्षों के बाद मिला कब्जा

कब्जा देने में देरी से यीडा को 499 करोड़ की क्षति

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अविवादित व खाली जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही भूखंडों का आवंटन कर दिया। उस जमीन पर विकास गतिविधियां भी संचालित नहीं हुईं। यीडा ने 371 से 4510 दिनों की देरी के बाद भी 18462 आवंटियों को चेकलिस्ट करने में विलंब किया।

चेकलिस्ट जारी करने और पट्टा विलेख में देरी के कारण यीडा को 498.96 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। कब्जा भी बहुत देर से मिला। इस कारण आवंटियों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

■ आवंटित जमीन पर विकास गतिविधियां भी संचालित नहीं हुईं

जब भारमुक्त जमीन हो तभी करें आवंटन : सीएजी

सीएजी ने अपनी संस्तुति में कहा है कि यीडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूखंडों का आवंटन केवल भारमुक्त भूमि की उपलब्धता होने व इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के बाद ही करना चाहिए। यीडा ने अपनी नवंबर 2022 में दी गई सफाई में कहा कि आवंटियों को चेकलिस्ट इसलिए नहीं जारी हो पाई क्योंकि अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान के लिए किसानों के आंदोलनके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास नहीं हो सका। कैग ने कहा कि तथ्य यह है कि यीडा को आवंटन से पहले ही भारमुक्त भूमि की उपलब्धता देखनी चाहिए थी। यदि यीडा ने अजेंसी क्लाज का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए होते तो मुकदमे, किसान के विरोध के कारण आने वाली बाधाओं से बचा जा सकता था।

इस कारण आवंटित 29,009 भूखंडों के मुकाबले केवल 10,547 आवंटियों को ही पट्टा विलेख कराने का काम हो पाया। यह खुलासा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें कहा गया कि यीडा ने 2008-09 से लेकर वर्ष 2020-21 के बीच 29009 भूखंड आवंटित किए थे। लेकिन अप्रैल 2022 तक केवल 10547 आवंटियों 36 प्रतिशत को ही पट्टा विलेख कराने के लिए चेकलिस्ट जारी हुई थी।